COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

182

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 R .... I/16 R 4245-I-16

श्री कृपण शर्मा, अभि0 द्वारा आज दि. 16-12-16 को प्रस्तुत

16.12.16 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

792 16.12.16

1–लोकेन्द्र सिंह पुत्र मानसिंह

2–श्रीमती सन्तो देवी पत्नी लोकेन्द्र सिंह

3–बाबूसिंह पुत्र हवलदारसिंह

4–सरनाम सिह पुत्र तेजसिंह

5–लक्ष्मीनारायण पुत्र तेजसिंह

6–हरीशंकर पुत्र तेजसिंह

7–संध्याबाई पुत्री तेज सिंह

8–विजयसिंह पुत्र केदारसिंह

9–रामेन्द्र सिंह पुत्र रूपसिंह

10–होशियार सिंह पुत्र कप्तानसिह

11–उदयसिंह पुत्र कप्तानसिंह

12–लक्ष्मण सिंह पुत्र बाबूसिंह

13–मोतीसिंह पुत्र बाबूसिंह

14–पुत्तूसिह पुत्र कप्तानसिंह

15–शान्तीशरण पुत्र कप्तानसिंह

16–सीमा पुत्री शान्तीशरण

17–गुड्डी पुत्री कप्तानसिंह

18–इन्द्रपाल पुत्र हमीर सिंह

19–सावित्री पत्नी इन्द्रपाल सिंह

20–विनोद पुत्र गुन्धी सिंह

21–रंजीत पुत्र गुन्धी सिंह

22–योगेश पुत्र गुन्धी सिंह

23–भूपेन्द्र सिंह पुत्र गुन्धी सिंह

24–सरनामसिंह पुत्र पोहपसिंह

..........................आवेदक

बनाम

म0 प्र0 शासन ....अनावेदक

R - 4245 - 1/16

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 16/09/2013

न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय मुरैना के प्र0क0 04/

12–13 स्वमेव निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम सिहोरी तह0 जौरा जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 1185 1308, 1359/2, 2287, 801, 2262, 1818, 1819, 2099, 1502 एवं 1 उक्त भूमि पटवारी कागजात में शासकीय अंकित होकर काबिल कास्त अंकित है। उक्त विवादित भूमि पर आवेदक गण का कब्जा पूर्वजों के समय से होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है।

2– यह कि यह कि आवेदक गण द्वारा तहसीलदार महोदय जौरा के समक्ष विवादित भूमि पर कब्जे के आधार पर शासकीय भूमि का आवेदक गणों के हक में व्यवस्थापन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये। जो प्र0क0 02/04–05×अ/19 पर पंजीबद्व किया जाकर पारित आदेश दिनांक 13/09/2005 द्वारा विवादित भूमि पर कब्जे के अनुसार आवेदक लोकेन्द्र सिंह पुत्र मानसिंह को सर्वे क0 1185 रकवा 0.90, बाबूसिंह पुत्र हवलदारसिंह को सर्वे क0 1308 में से रकवा 1.90 व सर्वे क0 1359/2 रकवा 0.10, सरनामसिंह, लक्ष्मीनारायण व हरीशंकर पुत्रगण तेजसिंह एवं संध्याबाई पुत्री तेजसिंह को सर्वे क0 2287 रकवा 2.00, विजय सिंह पुत्र केदारसिंह को सर्वे क0 801 रकवा 0.19, रामेन्द्रसिंह पुत्र रूपसिंह को सर्वे क0 2262 रकवा 1.05, होशियारसिंह पुत्र कप्तानसिंह को सर्वे क0 1308 में से रकवा 1.05, उदयसिंह पुत्र कप्तानसिंह को सर्वे क0 1308 में से रकवा 2.05, लक्ष्मणसिंह , मोतीसिंह पुत्रगण बाबूसिंह को सर्वे क0 1308 में से रकवा 2.10, पुत्तूसिंह पुत्र कप्तानसिंह को सर्वे क0 1308 में से रकवा 1.05, शान्तीशरण पुत्र कप्तानसिंह व सीमा पुत्री शान्तीशरण एवं गुड्डी पुत्री कप्तानसिंह को सर्वे क0 1308 में से रकवा 3.15, इन्द्रपालसिंह पुत्र हमीरसिंह व सावित्री पत्नी इन्द्रपालसिंह को सर्वे क0 1818 रकवा 0.02, सर्वे क0 1819 रकवा 0.31, सर्वे क0 2099 रकवा 0.25, सर्वे क0 1308 में से रकवा 2.73, कुल रकवा 3.31, विनोदसिंह , रंजीतसिंह , योगेन्द्रसिंह, भूपेन्द्रसिंह पुत्रगण गुन्धी सिंह को सर्वे क0 1308 में से रकवा 3.15, सर्वे क0 1502 रकवा 0.02, सरनाम सिंह पुत्र पोहप सिंह को सर्वे क0 1 रकवा 0.33, का व्यवस्थापन किये जाने का आदेश प्रदान किया गया।

3– यह कि अनुविभागीय अधिकारी महोदय जौरा द्वारा अपने प्रतिवेदन क0 2672/ रीडर/2012 दिनांक 31/08/2012 द्वारा कलेक्टर महोदय मुरैना को प्रस्तुत कर प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर व्यवस्थापन निरस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया।

R 4245-5/16

16-1-17

आवेदक अधि. श्री श्रीकृष्ण शर्मा उप. । आवेदक अधि० के निवेदन पर प्रकरण Not Press में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य

आवेदक प्रकरण [illegible] है।

R/16

बनाम

म0 प्र0 शासन ....अनावेदक